न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित आनन्दी आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **71/2018** अपील (राजस्व)

1. श्री नाथुलाल पिता श्री तुलसीराम जी मीणा निवासी फतहनगर, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

—— अपीलान्ट

बनाम

1. श्री मांगीलाल पिता श्री तुलसीराम जी मीणा निवासी लदानी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती प्यारीबाई पत्नी श्री उदा जी भील निवासी लदानी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्री किशोर पिता श्री पप्पु जी भील निवासी गादोली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर (राज.)

—— रेस्पोडेन्टगण

अपील विरूद्ध आपसी सहमति बंटवाडा दिनांक 16.06.2016 एवं उसके अनुसरण में निर्णित नामान्तकरण सं. 890 प्र.सं. 218/16 द्वारा अधीनस्थ तहसीलदार भू.अ. मावली जिला उदयपुर राजस्थान बअनवान नाथूलाल बनाम मांगीलाल व अन्य

उपस्थित : श्री दुर्गासिंह शक्तावत, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री अजय सिंह हाडा, अधिवक्ता विपक्षी सं. 2
श्री अमित तिवारी, अधिवक्ता विपक्षी सं. 3
श्री मनोज कुमार पॅवार, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः— 11.11.2019

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश तहसीलदार मावली के प्रकरण संख्या 218/16 आदेश दिनांक 16.06.16 से नाराज होकर प्रस्तुत की गई हैं।

अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि ग्राम लदानी तहसील मावली की आराजी सं. 383, 387, 388, 390, 392 कुल किता 5 कुल रकबा 10 बीघा 2 बिस्वा एवं आराजी सं. 379/1, 381/1, 382, 384, 386, 391, 1505 कुल किता 7 कुल रकबा 4 बिघा कुलिया भूमियों में अपीलान्ट का कुल 1/3 वा हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर विभाजन की दाद सहायक कलक्टर मावली के न्यायालय से चाही गई। जिसमें न्यायालय द्वारा अपने

आदेश दिनांक 21.05.15 को प्रारम्भिक डिक्री पारित कर हिस्से व कब्जे अनुसार बंटवाडा प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार मावली को कमिश्नर नियुक्त किया गया। इसी दरमियान दिनांक 16.06.16 को केम्प लदानी में लोक अदालत अभियान का आयोजन किया गया। जिसमें पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट को धोखे में रख कर प्रारम्भिक डिक्री के अनुरूप न्यायालय की खाली आदेशिका एवं अन्य कई खाली स्टाम्प व कागजों पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर करवा लिये तथा धोखे से उन कागजो पर कूटरचना कर अपीलान्ट के हिस्से की 15 बिस्वा भूमि को बिना किसी वैध कारण के रकबे से कम कर रेस्पोडेन्ट के हिस्से में उक्त भूमि बढा दी गई। जिसकी जानकारी अपीलान्ट को नहीं थी। अपीलान्ट को पटवारी द्वारा दिये गये आश्वासन अनुसार अपने कब्जे काश्त की भूमि पर काश्त करता रहा। विगत कुछ समय से रेस्पोडेन्ट मांगीलाल द्वारा अपीलान्ट को उसके हिस्से में कब्जे काश्त करने में बाधा हस्तक्षेप करने की कारित की जाने लगी व अपीलान्ट के हिस्से में कब्जा करने की धमकियां दी जाने लगी। जिस पर अपीलान्ट को शंका होने पर समस्त कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त की गई। जिस पर ज्ञात हुआ कि खाता सं. 146 व 147 में अपीलान्ट के रकबे में 15 बिस्वा भूमि की कमी कर उसे रेस्पोडेन्ट के खाते में जोड दिया गया तथा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को राजीनामे अनुसार सहमति विभाजन होने के फैसल पर वादपत्र को विधिविरूद्ध तरीके से ड्रोप कर दिया। जबकि वादपत्र का निस्तारण विधि अनुरूप किया जाना चाहिए। अगर कोई राजीनामा किया जाता है तो उसे वादपत्र पर लिया जा सकता था। जिसके अनुरूप अन्तिम डिक्री पारित की जा सकती थी। किन्तु पटवारी हल्का व अन्य राजस्व अधिकारियों ने अलग से फ्रोर्ड एवं मिसरिप्रजेन्टेशन कर धोखे से बंटवाडा लेखबद्ध कर लिया गया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को गुणावगुण अथवा राजीनामें से निर्मित किये बगैर ड्रोप कर दिया गया। इस प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा एक अपराधिक कार्यवाही भी संस्थित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मावली के आदेश की अपील भी न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। जहां से आपसी सहमति विभाजन एवं उसके अनुसरण में निर्णित नामान्तकरण को उक्त न्यायालय के क्षैत्राधिकार में नहीं होने से चराजोही करने के निर्देश होने से यह अपील आपके न्यायालय में अपीलीय नामान्तकरण से व्यथित, दुखीत एवं द्रवित होकर प्रस्तुत की जा रही है। तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत धोखे व कूटरचना से प्राप्त तथाकथित राजीनामें को किस प्रकार से वैध एवं प्रभावी नही माना जा सकता क्योंकि उनके पास में सहायक कलक्टर मावली के आदेश की प्रारम्भिक डिक्री की पालना किये जाने के आदेश प्राप्त हो चुका था। मात्र रेस्पोडेन्ट एवं पटवारी हल्का द्वारा मिली भगत कर राजस्व लोक अदालत केम्प में अपीलान्ट को हिस्से एवं कब्जे अनुसार बंटवाडा करने का झांसा देकर अति व्यस्तता भरे

अभियान में खाली कागजो पर हस्ताक्षर करवा कूटरचित तरीके से बंटवाडा निष्पादित करवा लिया। यदि राजीनामा ही किया जाना होता तो सहायक कलक्टर मावली के न्यायालय में विचाराधीन वाद में ही राजीनामा प्रस्तुत कर दिया जाता। राजस्व अधिकारियों द्वारा रेस्पोडेन्ट को अवैध लाभ पहुचाने की दृष्टि से 15 बिस्वा भूमि अधिक देकर अपीलान्ट को अपने अधिकारों से वंचित रखा। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मावली द्वारा भी आपसी सहमति बंटवाडा पारित कर भारी भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर कूटरचित आपसी सहमति बंटवाडा के आधार पर खोला गया नामान्तकरण सं. 890 दिनांक 16.06.16 को निरस्त फरमाया जाये।

अपने अपील के साथ में एक प्रार्थनापत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को उक्त धोखाधडी की जानकारी होने पर उसके द्वारा तुरन्त न्यायालय सहायक कलक्टर मावली की पत्रावली एवं तथाकथित कुटरचना सहमति विभाजन की पत्रावली एवं सक्षम न्यायालय में आपसी सहमति विभाजन एवं नामान्तकरण के विरूद्ध चाराजोही करने के निर्देश के साथ दिनांक 09.10.18 को अपीलान्ट की अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा खारिज फरमायी गई की प्रतिलिपियां प्राप्त की जिससे सम्यक तत्परता के साथ हस्तगत अपील प्रस्तुत की जा रही है, इसके बावजूद भी अपीलान्ट की ओर से अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य फरमाया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन फरमायी जाये। अपने प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र भी प्रस्तुत किया गया है।

अपीलार्थीगण द्वारा अपने अपील के साथ में एक प्रार्थनापत्र वादग्रस्त आराजीयात के मौके व रेकार्ड की यथास्थिति फरमाने के क्रम में भी प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट सं.1 बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहा है। तामीलन नोटिस संलग्न पत्रावली है। विपक्षी सं. 2 व 3 की ओर से उनके अधिवक्ताओ द्वारा उपस्थित होकर धारा 5 मयाद अधिनियम का जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

रेस्पोडेन्ट सं. 2 द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा आपके न्यायालय में इस आदेश की अपील प्रस्तुत की गई है कि उनके द्वारा लिखा गया है कि ''अपील विरूद्ध आपसी बंटवाडा दिनांक 16.06.16 एवं उसके अनुसरण में निर्मित नामान्तरकरण सं. 890 प्र.सं. 218/16 विद्ववान अधीनस्थ तहसीलदार भू.अ. मावली'' जिससे यह प्रकट होता है कि उक्त अपील बंटवाडा आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। जिसका सुनवाई का क्षैत्राधिकार आप न्यायालय में नहीं है एवं नामान्तकरण सं. 890 भी आपसी

सहमति के आधार पर लोक अदालत की भावना से पारित आदेश की अनुपालना में खोला गया जिसकी अपील दोनो ही पक्षकारान करने से वर्जित है। फिर भी यदि अपीलान्ट अपील प्रस्तुत की गई हैं तो वह आपसी बंटवाडे को निरस्त कराये बगैर चलने योग्य नहीं है। हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट स्वयं के द्वारा स्टाम्प वैण्डर से स्टाम्प क्रय कर लाया जिस पर आपसी सहमति से बंटवाडा निष्पादित किया। जिस पर दोनो पक्षकारानों द्वारा हस्ताक्षर किये। जिस पर ही बंटवाडा हुआ है। बंटवाडे की जानकारी अपीलान्ट को प्रारम्भ से ही थी। अपीलान्ट ने गलत ढंग से पुलिस कार्यवाहियां की एवं मिथ्या ढंग से बिना किसी क्षैत्राधिकार के न्यायालय में चाराजोही की गई है जो चलने योग्य नहीं है। अपीलान्ट ने यह भी नही बताया कि अपीलान्ट कोनसी अवधि को न्यायालय से क्षम्य करवाना चाहता है। अपीलान्ट द्वारा वास्तविक तथ्यों को छिपाकर यह अपील प्रस्तुत की गई है जिसे निरस्त फरमायी जाये।

रेस्पोडेन्ट सं. 3 द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर यह अपील प्रस्तुत की गई है। यह अपील आपसी सहमति बंटवाडे की प्रस्तुत कर दाद नामान्तकरण के निरस्ती की चाही जा रही है। हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट स्वयं आपसी सहमति से बंटवाडा निष्पादित करवाने हेतु स्टाम्प वेन्डर से स्टाम्प लाया। जिस पर सहमति बंटवाडा निष्पादित करा स्वयं द्वारा हस्ताक्षर किये एवं दूसरे पक्षकारो से भी हस्ताक्षर करवाये। जिस पर ही विभाजन की स्वीकृति प्राप्त हुई। किन्तु अपीलान्ट के मन में बदनियती आ जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत कर अनुचित लाभ प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। वर्तमान में जमीनो की कीमत बढ़ जाने एवं लालच उत्पन्न हो जाने के कारण अपीलान्ट ने यह अपील अनुचित रूप से प्रस्तुत की गई है। जो मयाद अवधि के बाद प्रस्तुत की है। अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारीज फरमायी जाये।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम लदानी तहसील मावली की आराजी सं. 383, 387, 388, 390, 392 कुल किता 5 कुल रकबा 10 बीघा 2 बिस्वा एवं आराजी सं. 379/1, 381/1, 382, 384, 386, 391, 1505 कुल किता 7 कुल रकबा 4 बिघा कुलिया भूमियों में अपीलान्ट का कुल 1/3 वा हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर विभाजन की दाद सहायक कलक्टर मावली के न्यायालय से चाही गई। न्यायालय द्वारा दिनांक 21.05.15 को प्रारम्भिक डिक्री पारित कर हिस्से व कब्जे अनुसार बंटवाडा प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार मावली को कमिश्नर नियुक्त किया था। इसी दरमियान दिनांक 16.06.16 को राजस्व ग्राम लदानी में राजस्व लोक अदालत अभियान के तहत केम्प का आयोजन किया गया। जिसमें हल्का पटवारी द्वारा अपीलान्ट को धोखे में रखकर प्रारम्भिक डिक्री के अनुरूप राजीनामे से बराबर

बंटवाडा करने का आश्वासन देकर न्यायालय की खाली आदेशिकाओं व खाली कागजो पर हस्ताक्षर करवा दिये गये। कूटरचित दस्तावेज तैयार कर 15 बिस्वा भूमि रेस्पोडेन्ट के पक्ष में बंटवाडे से अधिक दे दी गई। अपीलान्ट कब्जे के अनुसार काश्त करता रहा परन्तु कुछ समय बाद रेस्पोडेन्ट मांगीलाल द्वारा अपीलान्ट को उसके हिस्से में कब्जे काश्त करने में बाधा पैदा करने एवं भूमि पर कब्जा करने की धमकियां देने लगा। जिस पर अपीलान्ट द्वारा बंटवाडे कागजातों पर नकले निकलवायी जिस पर ज्ञात हुआ कि राजस्व अधिकारियों द्वारा रेस्पोडेन्ट से मिलीभगत कर बराबर हिस्से अनुसार राजीनामे से विभाजन करने का आश्वासन देने के बावजूद हस्ताक्षरशुदा खाली कागजो पर कूटरचित बंटवाडा तैयार कर खाता सं. 146 व 147 में अपीलान्ट के रकबे में 15 बिस्वा भूमि की कमी कर उसे रेस्पोडेन्ट के खाते में जोड दिया गया। जबकि न्यायालय की पत्रावली को राजीनामे अनुसार सहमति विभाजन होने के फैसल कर वादपत्र को विधि विरूद्ध तरीके से ड्रोप कर दिया गया। जबकि वादपत्र का निस्तारण विधि अनुरूप किया जाना चाहिए। यदि कोई राजीनामा किया जाता है तो उसे वादपत्र पर लिया जा सकता था। जिस पर नियमानुसार डिक्री पारित होनी चाहिए थी। सारी कार्यवाही से राजस्व अधिकारियों की अपराधिक मंशा जाहिर होती है। इस संबधं में एक अपराधिक कार्यवाही अपीलान्ट द्वारा संस्थित की गई है। अपीलान्ट को उक्त धोखाधडी की जानकारी होने पर उसके द्वारा तुरन्त न्यायालय सहायक कलक्टर मावली की पत्रावली एवं तथाकथित कुटरचना सहमति विभाजन की पत्रावली एवं सक्षम न्यायालय में आपसी सहमति विभाजन एवं नामान्तकरण के विरूद्ध चाराजोही करने के निर्देश के साथ दिनांक 09.10.18 को अपीलान्ट की अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा खारिज फरमायी गई की प्रतिलिपियां प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की जा रही है जिसे स्वीकार फरमायी जाकर अपीलीय नामान्तकरण को निरस्त फरमाया जाये।

विद्ववान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 द्वारा बहस करते हुए निवेदन किया गया कि अपीलीय नामान्तकरण आपसी सहमति से हुए बंटवाडा के आधार पर खोला गया है। जब तक आपसी सहमति बंटवाडा निरस्त नहीं हो जाता तब तक यह अपील नही चल सकती है। आपसी सहमति बंटवाडा को जिस स्टॉम्प पर निष्पादित किया गया है वह स्टाम्प स्वयं अपीलान्ट स्टाम्प वेण्डर से लेकर आया है। जिस पर आपसी सहमति विभाजन पर बंटवाडा निष्पादित किया उस पर हस्ताक्षर भी अपीलान्ट द्वारा सर्वप्रथम किये। अब किस आधार पर यह कहा जा रहा है कि इस बंटवाडे का मुझे ज्ञान नहीं था। जबकि दोनो पक्षकारानो द्वारा सहमति बंटवाडा निष्पादित किया है। सहमति बंटवाडे पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश कन्सेन्ट से जारी किया गया है। ऐसे आदेश की अपील दोनो पक्षकारान नहीं कर सकते है। अपीलान्ट द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के सिविल अपील नं. 4279–4280/2011 में

पारित निर्णय दिनांक 11.05.11 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये निवेदन किया कि ''As per section 96(3) of the civil Procedure code, no appeal lies from a decree passed by the court with the consent of the parties''। अपीलान्ट द्वारा गलत ढंग से पुलिस कार्यवाही की गई है। साथ ही मयाद प्रार्थनापत्र में यह भी नहीं बताया गया कि अपीलान्ट कौनसी अवधि को न्यायालय से क्षम्य करवाना चाहता है। अपीलान्ट द्वारा समयावधि पर अपील प्रस्तुत नहीं कर विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है। जो समयावधि पर ही खारीज योग्य है। अपनी बहस की ताईद में 2008(1)आरआरटी पेज 228, 2012(2)आरआरटी पेज 1250 एवं माननीय उच्चतम न्यायलय के सिविल अपील नं. 4279–4280/2011 में पारित निर्णय दिनांक 11.05.11 के दृष्टांत प्रस्तुत किये गये है।

प्रकरण में रेस्पोडेन्ट सं. 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज विनिमय पत्र, विक्रयपत्र, संपरिवर्तन आदेश एवं ग्राम पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र है। उक्त चारो दस्तावेजो की छायाप्रतियां है। जो संदिग्ध होने एवं कूटरचित होने की कोई संभावना नहीं है। अतः रेस्पोडेन्ट सं. 3 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत दस्तावेज जो भी फोटोकॉपियों में है, इन्हे पत्रावली पर रखे जाने के आदेश दिये जाते है।

प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा मौका निरीक्षण हेतु जो प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है परन्तु प्रकरण का निर्णय किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में मौका निरीक्षण की आवश्यकता नहीं होने से अपीलार्थी का प्रार्थनापत्र खारीज किया जाता है।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन किया गया। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का विस्तृत अध्ययन किया गया। बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि अपीलीय नामान्तकरण जो पारित किया गया है वह आदेश अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टगण द्वारा आपसी सहमति से मौजा लदानी तहसील मावली की अपनी खातेदारी भूमि को बंटवाडा किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मावली को मजमेआम राजस्व लोक अदालत अभियान 2016 केम्प लदानी पर प्रस्तुत किया गया। जिस पर लगने वाला स्टाम्प भी स्वयं अपीलान्ट द्वारा स्टाम्प वेण्डर से लाया गया। प्रस्तुत सहमति राजीनामे पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत पटवारी हल्का लदानी से रेकार्ड एवं मौका अनुसार फर्द बंटवाडा तैयार कर प्रस्तुत किये जाने हेतु आदेश किया गया। जिस पर पटवारी, निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मावली द्वारा आदेश पारित किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से पाया गया कि सहमति बटवाडे की पत्रावली/प्रस्ताव

पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर है। अतः बंटवाडा की जानकारी अपीलान्ट को प्रारम्भ से ही यानि की दिनांक 16.06.16 से ही था एवं माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय में दिनांक 23.01.18 को पेश की गई। जो कि करीबन डेढ वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। (अपने विलम्ब प्रार्थनापत्र में ऐसा कोई ठोस कारण नहीं बताया गया है जिस पर न्यायालय यह विश्वास कर सके कि डेढ वर्ष का विलम्ब का कारण अपीलार्थी द्वारा बताया गया है वह सही है) अपीलार्थी द्वारा अपने मयाद अधिनियम धारा 5 प्रार्थनापत्र में यह बताया गया है कि ''मुझे उक्त बंटवाडे की जानकारी होने पर तुरन्त सहायक कलक्टर मावली के न्यायालय की पत्रावली तथा कूटरचित विभाजन की पत्रावली एवं सक्षम न्यायालय में आपसी सहमति विभाजन एवं नामान्तकरण के विरूद्ध अपील माननीय न्यायलय राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जहां से दिनांक 09.10.18 को यह निर्देश प्राप्त हुए की सक्षम न्यायालय में चाराजोही हेतु अपील प्रस्तुत की जाये। सभी की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त की जिससे सम्यक तत्परता के साथ हस्तगत अपील प्रस्तुत की जा रही है। इसके बावजूद भी अपीलान्ट की ओर से अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य फरमाया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक है। '' अपीलान्ट के यह कथन स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होते है क्योंकि अपीलार्थी ने स्वयं उक्त बंटवाडे प्रार्थनापत्र में सह खातेदार होकर हस्ताक्षर कर सहमति बंटवाडे का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय में डेढ वर्ष की अति विलम्ब अवधि से अपील प्रस्तुत की गई हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार अपील में हुए विलम्ब का कोई ठोस कारण नहीं माना जा सकता। माननीय राजस्व मण्डल के कई निर्णयों में यह दृष्टांत दिये गये है कि विलम्ब के लिए प्रत्येक दिन की देरी का कारण स्पष्ट करना पडेगा, परन्तु इस प्रकरण में डेढ वर्ष की देरी का उचित व युक्तियुक्त कारण अपीलार्थी द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है, ना ही धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब का कोई ठोस कारण बताया गया है। अतः उक्त अपील मयाद के बिन्दु पर ही खारीज की जाती है।

निर्णय की प्रति मय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तहसीलदार मावली को वास्ते सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार हों। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anandhi Palaniswamy
Date: 2019.12.17 11:36:36 IST
Reason: SelfAttested
Location: